

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/२०१८/२७८१

लखनऊ ०२ अगस्त, २०१८

::-आवश्यक सूचना:-

शासनादेश सं०:१०१०/७१-४-२०१८-७/२०१८, दिनांक १९ जून, २०१८ में निहित निर्देशानुसार यू०पी०नीट यू०जी०-२०१८ के अंतर्गत प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आल इंडिया अथवा अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग के माध्यम से मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रम की सीट आवंटित हो गयी है, वह अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग-पत्र देते हुए निर्धारित शिक्षण शुल्क का १० प्रतिशत की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में देय हो, नोडल सेन्टर पर जमा कर अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं शिक्षण शुल्क का ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं।


महानिदेशक